

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/प्रो.-05-03/2014...../रॉची, दिनांक :/

-: आदेश :-

वित्त विभाग की संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 27.12.2016 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान् रु. 6500-10,500 एवं रु. 10,000-15,200 में स्वीकृत किया जाता है : -

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/ पदस्थापन स्थान/ आई.डी. कोड/ गृह जिला /जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 6500-10500)	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 10000-15200)
1	2	3	4	5
1	श्री ललन प्रसाद (से.नि.) लघु वितरणी प्र० सं०-4, गालुडीह/ जे 2099/ गया/ 17.02.1947	03.03.67	09.08.99	09.08.99
2	श्री विजय प्रसाद (से.नि.) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार/ जे 5604ए/ औरंगाबाद / 01.08.52	02.02.79	09.08.99	02.02.03
3	श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला /लघु वितरणी प्र०सं०-3 मानगो/ इलाहाबाद/J8500/25.06.1962	19.05.88	19.05.2000	-
4	श्री लखन देव मिश्र से० नि०/लघु वितरणी प्र०सं०-09, गालुडीह/भोजपुर/J-4810/ 11.09.1950	08.02.79	09.08.04	-
5	स्व. दारोगा राय/ J-1617 /औरंगाबाद/30.01. 1947/ आयोजन एवं मोनिटरिंग प्र० मेदिनीनगर	20.03.79	09.08.99	20.03.03
6	स्व० बृजनन्दन प्रसाद सिंह/ जे० 2720/सिंचाई प्रमण्डल गोडडा शिविर महागामा/गया/30.01.44	21.07.72	09.08.99	09.08.99
7	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह (से०नि०)/ जे० 6380/गंगा पम्प नहर प्र०, साहेबगंज/मुंगेर/13.07.50	30.01.79	01.04.02	22.09.05
8	श्री ओझा ताराकान्त राय/ जे० 7704/सिंचाई प्रमण्डल गोडडा, शिविर महागामा/दरभंगा/17.03. 1963	27.01.87	01.04.2000	-

शशि मजु 2017

1	2	3	4	5
9	स्व० शैलेन्द्र कुमार साहा / प्रखण्ड कार्यालय, रामगढ़ / भागलपुर / 08.02.1962	18.04.88	18.04.2000	-
10	श्री कैलाश सिंह / जे० 8819 / ग्रा० वि० वि० प्र०, राँची / मुंगेर / 31.12.56	27.04.88	27.04.2000	-

- (ख) यह योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।
- (ग) वित्तीय उन्नयन के तहत देय वित्तीय लाभ वित्त विभाग के सत्यापनोपरांत ही देय होगा।
- (घ) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द / संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।
- (ङ) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 1250

राँची, दिनांक :- 19-04-17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / संबंधित सभी मुख्य अभियंता / संबंधित सभी अधीक्षक अभियंता / अवर सचिव (प्रबंधन) / उप सचिव (प्रबंधन) / संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची / मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची / संबंधित सभी कनीय अभियंता / प्रशाखा-02, 03 एवं 08 / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
19/4/17

सरकार के अवर सचिव


